संख्या-28/2024/777/001-53-1099-099-563-2019

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/ उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी दुग्धशाला विकास विभाग, आगरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, बांदा, महोबा, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती,सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराइच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 09 सितंबर, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 (जिला योजना-एससीपी) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सुविधा में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उ0प्र0 के पत्रांक- 254/दुग्ध-4/ नियो0/ तकनीकी निवेश एससीपी(293)/23-24, दिनांक 02 सितम्बर, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सुविधा (अनुदान संख्या-83 जिला योजना-एससीपी) योजनान्तर्गत 75 जनपदों के लिए दवा (डिवर्मर, थनैला व टिक कन्ट्रोल), पी०सी०डी०एफ० के पशुआहार निर्माणशालाओं द्वारा निर्मित मिनिरल मिक्स्चर व पशुआहार के लिए क्रमश 30:20:50 के अनुपात में वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 138.72 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 69.36 लाख (रूपये उनहत्तर लाख छत्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्नक के अनुसार सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/ उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्ध-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए एस०सी०पी०/टी०एस०पी० मानक के अनुरूप ही व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत चालू योजना के अधीन अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों के लिए ही व्यय की जायेगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग मात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से गठित/पुनर्गठित समितियों पर ही किया जायेगा। धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में स्वीकृत की गयी धनराशि, यदि उपलब्ध हो तो उसके समायोजन के उपरान्त उक्त धनराशि से व्यय सुनिश्चित करेंगे।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो सम्बन्धित दुग्ध संघ/समितियाँ अपने संसाधन से वहन करेंगे।

(7) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान तथा अनुसूचित जाति के उपयोगिता के लिए निर्धारित मानकों/ दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय बजट प्राविधान हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कार्यों/मदों जिस हेतु वस्तुतः अनुमन्य है, केवल उन्हीं प्रयोजन में धनराशि व्यय की जायेगी। किसी अन्य मद/ कार्य में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि से दवाओं/सामग्री आदि का क्रय संगत शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रिया व मानकों के अनुसार किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में कसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/ धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(11) प्रश्नगत योजना/कार्यक्रम हेतु दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में ऑकड़ो की शुद्धता एवं सही होने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ०प्र० का होगा।

(12) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रायोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(13) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बन्धित दुग्ध संघो को प्रश्गनत कार्यक्रम/मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का निर्धारित मदो में उपयोग सुनिश्चित कराते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर आगामी वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव के पूर्व शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) जिन मदो में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(15) स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे एवं बहीखाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बहीखाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/ परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 69,36,000 (रुपये उनहत्तर लाख छत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2404007890400 दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सुविधा (जिला योजना) **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,
राम सहाय यादव,
विशेष सचिव।

संख्या-28/2024/777/001-53-1099-099-563-2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/ प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- सम्बन्धित जिलाधिकारी ।
6- प्रबन्ध निदेशक, पी.सी.डी.एफ.लि., लखनऊ।
7- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास उ0प्र0, लखनऊ।
10- सम्बन्धित क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश।
11- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 उत्तर प्रदेश।
12- वित(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-3/ राज्य योजना आयोग,उत्तर प्रदेश शासन।
13- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ को समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या-07/26- ब0प्रा0- 2015, दिनांक 27.03.2015 के सन्दर्भ में प्रेषित।
14- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
15- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह,
अनु सचिव।

http://shasanau

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।